भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग/IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001
(☎ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail - irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No.- 2204 8476 &
2202 6728

सं./Ref: 7/34/2012/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 408 दिसंबर/December 31, 2012

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : दिनांक 01/02/1998 से लागू संशोधित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

Sub : Modified Contributory Health Services Scheme w.e.f. 01/02/1998 - clarifications regarding.

हाल ही में गठित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) पुनरीक्षण समिति की बैठक में की गई चर्चा के अनुसार, यह पाया गया है कि सीएचएसएस नियमावली के तहत कुछ प्रावधानों को और अधिक स्पष्ट करते हुए, इसे उचित रूप से समझाए जाने तथा पूरे भारत में एकसमान रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है। अत: इस संबंध में, कुछ बिंदुओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

As per the discussions held in the recently constituted CHSS Review Committee Meeting, it was found that some of the provisions under CHSS Rules are need to be clarified further for its proper interpretation and uniform application all over India. In this regard, some of the points are clarified as under :

1) पऊवि के दिनांक 22/01/1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/55/94/सीएचएसएस/आईआरएंडडब्ल्यू/37 के जरिये दिनांक 01/02/1998 से संशोधित अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) प्रारंभ की गई थी। चूंकि उक्त बनायी योजना विशेष रूप से मुंबई के लिए है, फिर भी जिन स्थानों पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) जारी है, वहां पर भी

...... 2/-

इस योजना को आवश्यक परिवर्तनों सहित विस्तारित किया गया है। अत: पऊवि की समस्त इकाइयों में जहां अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना(सीएचएसएस) जारी है वहां अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना(सीएचएसएस) नियमावली के अंतर्गत समस्त प्रावधान भी लागू होंगे।

The modified CHS Scheme was introduced w.e.f. 01/02/1998 vide DAE O. M. No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22/01/1998. Though the scheme framed is particularly meant for Mumbai, the same is extended Mutatis mutandis to other places where CHSS is in operation. Therefore, all the provisions under CHSS Rules will be applicable to all the DAE units, where CHSS is in operation.

2) पुत्र/पुत्री, दोनों अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस)के तहत चिकित्सा सुविधा लेने के तब तक पात्र हैं जब तक कि वे कमाई करना (आय ₹4000/- तक) प्रारंभ करते हैं अथवा विवाहित हो जाते हैं अथवा उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाती है, जो भी इनमें से पहले हो।

Son/Daughter, both are eligible to avail medical facility under CHSS till they start earning (income upto ₹4,000/-) or get married or upto the age of 25 years, whichever is earlier.

3) अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) नियम क्र. 4.1 के अंतर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार - यदि एक अविवाहित महिला कर्मी अपने माता-पिता के लिए सीएचएसएस सुविधा का लाभ लेती है तो वह अपने विवाह के पश्चात या तो अपने माता-पिता के लिए सीएचएसएस सुविधा लेना जारी रख सकती है अथवा उनकी जगह अपने सास-ससुर को शामिल करने का विकल्प दे सकती है, बशर्ते कि इस योजना में दी गयी निर्भरता तथा आवासीयता संबंधी शर्तों का पालन किया जाए। एक बार विकल्प चुनने पर उसे भविष्य में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है ।

.......3/-

As per the explanation under CHSS Rule No. 4.1 - If an unmarried female employee is availing the CHSS facility for her parents, after her marriage she can either continue to obtain the CHSS facility for her parents or opt to include her parents-in-law instead, subject to the conditions of dependency and residency being satisfied. Once this option is exercised, she is not permitted to change the same in any future date.

4) पऊवि की इकाइयों के कॉम्प्लेक्स में स्थित गैर-पऊवि कार्यालयों जैसे एम्प्लाइज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, बैंकों तथा पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए सीएचएसएस सुविधा उपलब्ध नहीं है।

CHSS facility is not available for the employees of non-DAE offices, located in the complex of DAE units such as Employee's Co-operative Credit Societies, Banks & post offices.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(एन. वी. एस. वी. प्रसाद N. V. S. V. Prasad)
विशेष कार्य अधिकारी(औ. सं. एवं क.)/Officer on Special Duty (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities

1) निदेशक, भापअकें, मुंबई Director, BARC, Mumbai
2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur

8) निदेशक, एएमडी Director, AMD
9) निदेशक, आरआरकैट Director, RRCAT
10) निदेशक, वीईसीसी Director, VECC
11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल Director (HR), NPCIL
12) प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअकेंद्र Head, Medical Division, BARC
13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रतिलिपि/Copy to :

(1) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC, Secretary, DAE
(2) विशेष सचिव के प्रधान निजी सचिव, पऊवि PPS to Special Secretary, DAE
(3) संयुक्त सचिव (उद्योग एवं खनिज) के निजी सचिव, पऊवि PS to JS(I&M), DAE
(4) सचिव स्टाफ साइड, डीसी Secretary, Staff Side, DC
(5) महा सचिव, नाफी General Secretary, NAFAEE
(6) प्रशासनिक अधिकारी-III, बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी
AO-III, BARC Hospital, BARC
(7) सहायक निदेशक (राभा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE